आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1		3

10/1/2020

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल।

क्रि0मि0 वाद सं0– 434/2019

प्रथम पक्ष– बदरूल हक

बनाम

द्वितीय पक्ष– मकसुद शेख

दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही

आदेश

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों के बीच सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है। जिससे संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	दाग नं0	रकवा
मधुवापाड़ा	304	00'06–01

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक एवं विपक्षी एक ही वंशज से आते हैं। मौजा मधुवापाड़ा के दाग नं0– 304, रकवा 06 कट्ठा 01 धूर जमीन का खतियानी रैयत जुबेर शेख है। दाग नं0– 304 की जमीन पर स्थित मकान जुबेर शेख की पत्नी को मिला था, जुबेर शेख तथा उसकी पत्नी का देहांत के बाद उसका हिस्सा नहीं हुआ था। मौजा जमालपुर दाग नं0– 320 रकवा 07 कट्ठा 06 धूर जमीन तथा मौजा अंधारकोठा, दाग नं0– 160 रकवा 12 कट्ठा जमीन का भी हिस्सा नहीं हुआ था। विपक्षी के द्वारा जाली कागजात बनाकर उक्त जमीन पर अकेले दावा कर रहा है। इसलिए बंटवारा वाद सं0 65/2005 दाखिल किया गया, जिसमें डिकरी मिना था। विपक्षी बंटवारा को भंग करने के लिए मौजा मधुवापाडा के दाग नं0– 304 में स्थित मकान तोड़ दिया एवं अपने मकान के साथ मिला लेने के उद्देश्य से मकान बनाने के लिए नींव खोद दिये तथा मना करने पर जान से मार डालने की धमकी देते हैं, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। अतएव उक्त जमीन पर निर्माण कार्य को रोकते हुए जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है।

जबाब में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर मौजा मधुवापाड़ा के दाग नं0– 304, रकवा 06 कट्ठा 01 धूर जमीन पर विपक्षी द्वितीय पक्ष द्वारा मकान निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। विपक्षी का घर मौजा मधुवापाड़ा के दाग नं0– 307 पर पूर्व से ही अवस्थित है, जो द्वितीय पक्ष के हिस्से की जमीन है तथा विपक्षी इसी जमीन पर बने घर के उपरी मंजिल पर जाने हेतु घर के अंदर सीढ़ी बना रहा है। मौजा मधुवापाड़ा के दाग नं0– 307 का रकवा 01 कट्ठा 16 धूर जमीन द्वितीय पक्ष को मौखिक बंटवारा से प्राप्त है तथा कोई अन्य दाग पर कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। विपक्षी के पिता ने अनिबंधित बंटन के द्वारा विपक्षी के दोनों भाईयों को दिया है। प्रथम पक्ष अन्य लोगों की राहायता से कार्यवाही वाली जमीन को जबरदस्ती घेर कर विपक्षी के मुख्य घर को बंद कर दिया है, जिससे शांति भंग की समस्या उत्पन्न हो गयी है। अतएव जारी निषेधाज्ञा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करते हुए प्रथम पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने की प्रार्थना किया गया है।

Scanned with CamScanner

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। सुनने से प्रतीत होता है कि मौजा मधुवापाड़ा के दाग नं0– 304, रकवा 06 कट्ठा 01 धूर जमीन के खतियानी रैयत जुबेर शेख के नाम से अंकित है।

अतः उपरोक्त तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत प्रस्तुत वाद बंटवारा से संबंधित है। इस विवाद का निपटारा इस वाद के माध्यम से संभव नहीं है। प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। इस निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner